IDFC FIRST Bank

ALWAYS YOU FIRST

आइडीएफसी फ़र्स्ट बैंक क्रेडिट कार्ड

सर्वाधिक महत्वपूर्ण नियम व शर्तें (एमआयटीसी)

सर्वाधिक महत्वपूर्ण नियम व शर्तें और यहां मौजूद सभी जानकारी सभी क्रेडिट कार्ड मेम्बर/ क्रेडिट कार्ड के आवेदकों/कर्मचारियों/बैंक के ग्राहकों/बैंक के क्रेडिट कार्ड उत्पाद में रुची रखने वाली आम जनता पर तत्काल प्रभाव से लागू होती हैं। एमआइटीसी (MITC) में बदलाव हो सकता है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण नियम व शर्तें (एमआइटीसी) को आईडीएफसी फ़र्स्ट बैंक क्रेडिट कार्ड सदस्य के नियम व शर्तों/समझौते के साथ पढ़ा और समझा जाना चाहिए, जिसे www.idfcfirstbank.com पर सूचित किया गया है।

शुल्कों की सूची: आइडीएफसी फ़र्स्ट बैंक क्रेडिट कार्ड्स

5 अप्रैल 2022 से प्रभावी

1. ज्वाइनिंग शुल्क, वार्षिक शुल्क और ऐड-ऑन कार्ड्स शुल्क:

आइडीएफसी फ़र्स्ट बैंक कार्ड्स संस्करण	आरंभ / ज्वाइंग शुल्क (₹)	वार्षिक/वार्षिक शुल्क (₹)	ऐड-ऑन कार्ड शुल्क (₹)
फ़र्स्ट मिलेनिया क्रेडिट कार्ड फ़र्स्ट क्लासिक क्रेडिट कार्ड फ़र्स्ट सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड फ़र्स्ट वेल्थ क्रेडिट कार्ड एम्प्लॉयी क्रेडिट कार्ड फ़र्स्ट वाउ! क्रेडिट कार्ड	शून्य	शून्य	शून्य
इमेज पर्सनलाइजेशन फ़ी*	₹499	शून्य	₹499
फ़र्स्ट प्राइवेट क्रेडिट कार्ड	₹50,000	₹50,000	फ़र्स्ट ऐड-ऑन - शून्य, सेकंड ऐड-ऑन आगे - ₹4,000 प्रति ऐड-ऑन

*इमेज पर्सनलाइजेशन फ़ीचर फ़र्स्ट प्राइवेट पर लागू नहीं होता है।

2. वित्त शुल्क :*

आइडीएफसी फ़र्स्ट बैंक कार्ड्स संस्करण	**ख़रीद पर ब्याज दर, नकद अग्रिम और बकाया बैलेंस देय** (यदि किया गया भुगतान न्यूनतम देय राशि और कुल देय राशि के मानों के बीच है तो शुल्क लिया जाएगा)	**बकाया ब्याज** (भुगतान की देय तिथि तक न्यूनतम देय राशि (एमएडी) का भुगतान न करने पर शुल्क लगेगा)
फ़र्स्ट मिलेनिया क्रेडिट कार्ड फ़र्स्ट क्लासिक क्रेडिट कार्ड फ़र्स्ट सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड फ़र्स्ट वेल्थ क्रेडिट कार्ड एम्प्लॉई क्रेडिट कार्ड फ़र्स्ट वाउ! क्रेडिट कार्ड	मासिक दर - 0.75% - 3.5% वार्षिक दर - 9% - 42%	मासिक दर - 3.99% वार्षिक दर - 47.88%
फ़र्स्ट प्राइवेट क्रेडिट कार्ड	मासिक दर - 0.75% वार्षिक दर - 9%	मासिक दर - 3.99% वार्षिक दर - 47.88%

3.अन्य शुल्क और प्रभार:

नकद अग्रिम - लेनदेन शुल्क**	₹250

विलम्ब भुगतान प्रभार	फ़र्स्ट मिलेनिया क्रेडिट कार्ड, फ़र्स्ट क्लासिक क्रेडिट कार्ड, फ़र्स्ट सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड, एम्प्लॉयी क्रेडिट कार्ड, फ़र्स्ट वाउ! क्रेडिट कार्ड, फ़र्स्ट वेल्थ क्रेडिट कार्ड – कुल देय राशि का 15% (न्यूनतम ₹100 और अधिकतम ₹1250 के अधीन है) फ़र्स्ट प्राइवेट क्रेडिट कार्ड – शून्य
सीमा से अधिक प्रभार	सीमा से ज्यादा राशि का 2.5 % (न्यूनतम ₹ 500 के शुल्क के अधीन), . फर्स्ट प्राइवेट क्रेडिट कार्ड के लिए शून्य, फ़र्स्ट वाउ के लिए लागू नहीं! क्रेडिट कार्ड
चेक का वापस होना/ऑटो डेबिट/ भुगतान वापसी	₹250 प्रति वापसी चेक/ऑटो डेबिट/भुगतान वापसी
रिवार्ड रिडेम्प्शन शुल्क	शून्य (1 अक्टूबर 2022 से प्रभावी, प्रति रिडेम्प्शन लेनदेन पर ₹ 99)
शाखाओं पर नकद भुगतान पर शुल्क	शून्य
आउटस्टेशन चेक प्रॉसेसिंग शुल्क	शून्य
डुप्लिकेट स्टेटमेंट अनुरोध	शून्य
कार्ड रिप्लेसमेंट शुल्क	फ़र्स्ट मिलेनिया क्रेडिट कार्ड, फ़र्स्ट क्लासिक क्रेडिट कार्ड, फ़र्स्ट सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड, एम्प्लॉयी क्रेडिट कार्ड, फ़र्स्ट वाउ! क्रेडिट कार्ड, फ़र्स्ट वेल्थ क्रेडिट कार्ड – ₹ 100, इमेज पर्सनलाइजेशन वाले कार्डों के लिए ₹149 लागू, फ़र्स्ट प्राइवेट क्रेडिट कार्ड – ₹ 4000
चेक/कैश प्रॉसेसिंग शुल्क	शून्य
चार्जस्लिप अनुरोध	शून्य
मार्कअप चार्ज विदेशी मुद्रा लेनदेन पर	फ़र्स्ट मिलेनिया क्रेडिट कार्ड, फ़र्स्ट क्लासिक क्रेडिट कार्ड – 3.5% फ़र्स्ट सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड, एम्प्लॉयी क्रेडिट कार्ड – 1.99% फ़र्स्ट वेल्थ क्रेडिट कार्ड – 1.5% फ़र्स्ट वाउ! क्रेडिट कार्ड, फ़र्स्ट प्राइवेट क्रेडिट कार्ड – शून्य
ईएमआइ शुल्क	लेनदेन मूल्य का 1% (न्यूनतम ₹ 99)
इंधन प्रभाव छूट^	लेनदेन मूल्य सरचार्ज छूट का 1% – ₹ 200 फ़र्स्ट मिलेनिया क्रेडिट कार्ड, फ़र्स्ट क्लासिक क्रेडिट कार्ड, फ़र्स्ट क्लासिक क्रेडिट कार्ड, फ़र्स्ट वाउ पर प्रति विवरण साइकल! क्रेडिट कार्ड सरचार्ज छूट – फ़र्स्ट क्रेडिट कार्ड, एम्प्लॉयी क्रेडिट कार्ड पर प्रति विवरण साइकल ₹ 300 तक सरचार्ज छूट फ़र्स्ट वेल्थ क्रेडिट कार्ड, फ़र्स्ट प्राइवेट क्रेडिट कार्ड पर प्रति विवरण साइकल ₹400 तक
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी)	वर्तमान में भारत सरकार द्वारा अधिसूचित अनुरूप दरों पर सभी शुल्कों, ब्याजों और अन्य प्रभारों पर 18% लागू है और इसमें बदलाव हो सकता है।

*कार्डधारक पर लागू होने वाली *वित्त (ब्याज) दरें बैंक के आंतरिक नीति पैरामीटर पर निर्भर करती हैं। ये निर्णायक और बाध्यकारी होती हैं और बैंक के विवेक पर इसमें बदलाव हो सकता है।

**डीसीसी यानी गतिशील मुद्रा रूपांतरण के जरिए INR में रूपांतरण के बाद बिल की गई अंतर्राष्ट्रीय राशि (अर्थात कुछ अंतरराष्ट्रीय मर्चेंट आउटलेट्स / एटीएम पर प्रदान की जाने वाली सेवा, जो किसी कार्ड धारक को विदेशी मुद्रा में डिनोमिनेटेड लेनदेन को स्थानीय मुद्रा में परिवर्तित करने की अनुमति देती है, अर्थात निकासी/बिक्री के समय भारतीय रुपए) में अधिग्रहणकर्ता बैंक अथवा सेवा प्रदाता द्वारा लगाया गया कोई भी शुल्क/प्रभार शामिल हो सकते हैं।

^फ्यूल ट्रांजैक्शन सरचार्ज अधिग्रहणकर्ता (टर्मिनल/पेमेंट गेटवे प्रदान करने वाले मर्चेंट का बैंक) द्वारा लगाया जाता है। फ्यूल सरचार्ज छूट योग्य फ्यूल ट्रांजैक्शन राशियों के 1% तक सीमित होगी। फ्यूल सरचार्ज पर जीएसटी वापस नहीं किया जाएगा। चार्जस्लिप का मान क्रेडिट कार्ड विवरण से अलग होगा क्योंकि लेनदेन के बाद बैंक द्वारा अधिग्रहीत करने पर जीएसटी पर सरचार्ज लगाया जाता है। योग्य लेनदेन के लिए 1% सरचार्ज छूट (जीएसटी को छोड़कर) मासिक क्रेडिट कार्ड विवरण में अलग से दिखाई देगी।

1. शुल्क और प्रभार

i. वार्षिक और नवीकरण सदस्यता शुल्क

फ़र्स्ट प्राइवेट क्रेडिट कार्ड को छोड़कर वार्षिक और नवीकरण सदस्यता शुल्क सभी कार्ड संस्करणों के लिए शून्य होता है। फ़र्स्ट प्राइवेट क्रेडिट कार्ड शुल्क जैसा भी लागू हो, कार्ड जारी करने के समय कार्डधारक को सूचित किया जाएगा। फ़र्स्ट प्राइवेट ऐड–ऑन क्रेडिट कार्ड – फ़र्स्ट ऐड–ऑन निर्गमन पूरक है सेकंड ऐड–ऑन से आगे – प्रति ऐड–ऑन के लिए ₹4000 का शुल्क लिया जाएगा।

ii. नकद अग्रिम शुल्क

कार्डधारक कार्ड का इस्तेमाल भारत या विदेश के एटीएम से आपातकालीन स्थिति में नकद निकालने में कर सकते हैं। शुल्क अनुसूची में दिए अनुसार ₹250 का लेनदेन शुल्क लगाया जाएगा और अगले विवरण में कार्ड सदस्य को बिल किया जाएगा। लेन–देन शुल्क में कार्ड सदस्य को पूर्व सूचना के साथ आइडीएफसी फर्स्ट बैंक के विवेकाधिकार पर समय–समय पर परिवर्तन हो सकता है और बैंक की वेबसाइट पर प्रकाशित शुल्क अनुसूची के माध्यम से प्रकट किया जाता है।

iii. विलम्ब भुगतान शुल्क

यदि कार्ड पर देय न्यूनतम राशि का भुगतान देय तिथि तक नहीं किया जाता है, तो विलंब भुगतान शुल्क (एलपीसी) लागू होगा। पिछले विवरण के अनुसार कार्ड पर कुल देय राशि के आधार पर विलम्ब भुगतान शुल्क लगाया जाता है। विलम्ब भुगतान शुल्क से बचने के लिए, भुगतान की देय तिथि पर या उससे पहले आइडीएफसी फ़र्स्ट बैंक कार्ड खाते में स्पष्ट धनराशि जमा करनी होती है। वर्तमान में एलपीसी देय राशि का 15% होता है

जो न्यूनतम ₹100 और अधिकतम ₹1250 हो सकता है। इन शुल्कों में कार्ड सदस्य को पूर्व सूचना देकर आइडीएफसी फ़र्स्ट बैंक के विवेक पर समय–समय पर परिवर्तन किया जा सकता है और उन्हें बैंक की वेबसाइट पर प्रकाशित शुल्क अनुसूची के माध्यम से प्रकट किया जाता है।

विलम्ब भुगतान शुल्क के लिए उदाहरण:

कुल देय राशि	विलम्ब भुगतान शुल्क
₹100 से कम	कोई नहीं
₹500	₹100
₹5000	₹750
₹8000	₹1200
₹10000	₹1250
More than ₹10000	₹1250

फ़र्स्ट प्राइवेट क्रेडिट कार्ड पर एलपीसी – शून्य

iv. वित्त शुल्क (ब्याज शुल्क):

अ) यदि कार्ड सदस्य की पिछली बकाया राशि है या भुगतान की देय तिथि तक कुल देय राशि का भुगतान नहीं किया गया हो, तो वित्त (ब्याज) शुल्क लिया जाएगा। कार्डधारक द्वारा अपनी शेष राशि का पूरा भुगतान न करने का विकल्प चुनने की स्थिति में, जब तक कि उनका भुगतान न हो जाता हो, तब तक लेन–देन की तिथि से सभी लेनदेन (नकद अग्रिम सहित) पर मासिक प्रतिशत दर पर ब्याज शुल्क लगेगा। वित्त प्रभार, यदि देय हैं तो, कार्ड सदस्य के खाते में तब तक डेबिट किए जाते हैं जब तक कि कार्ड पर बकाया राशि का पूर्ण भुगतान न कर दिया जाता हो। यदि वे नियत तारीख को या उससे पहले पिछले बिल की पूरी राशि का भुगतान नहीं करते हैं, तो कार्ड सदस्य से दैनिक संग्रहण आधार पर ब्याज वसूला जाएगा। लेन–देन की तारीख से निपटारा की तारीख तक ब्याज लगाया जाएगा।

ब) जब कार्ड सदस्य औसत दैनिक बैलेंस विधि द्वारा गणना की गई किसी भी बकाया राशि के वित्त शुल्क को आगे ले जाता है, तो यह तब तक आगे की शेष राशि और नए बिलों पर लागू होगी, जब तक कि पिछली बकाया राशि पूरी तरह से चुकाई न जाती है।

स) वित्त (ब्याज) दरें व्यापक रूप से कार्ड सदस्य के क्रेडिट हिस्ट्री, खरीद पैटर्न, भुगतान व्यवहार, उपयोग पैटर्न, लॉयल्टी, विंटेज और बैंक के आंतरिक नीति मापदंडों जैसी बातों के आधार पर गतिशील होते हैं। आइडीएफसी फ़र्स्ट बैंक के पूर्ण विवेक पर वित्त (ब्याज) दरें 3.99% प्रति माह (47.88% वार्षिक) या 0.75% प्रति माह (9.00% वार्षिक) तक बदल / घट सकती हैं और यह कार्ड सदस्य के लिए अंतिम और बाध्यकारी होंगी।

द) यदि कार्ड सदस्य आइडीएफसी फ़र्स्ट बैंक क्रेडिट कार्ड की रिवॉल्विंग क्रेडिट सुविधा का उपयोग कर रहा है और इसलिए मासिक बिलिंग विवरण में दर्शाई गई कुल देय राशि से कम राशि का भुगतान करने का विकल्प चुनता है, तो पूरी बकाया राशि पर वित्त शुल्क और नकद अग्रिम समेत सभी नए लेनदेन लागू होंगे। उस समय तक वित्त प्रभार भी लगेगा जब तक कि पिछली बकाया राशि का पूरा भुगतान न कर दिया जाता है। कृपया इस बात पर ध्यान दें कि पिछले विवरण के अनुसार सभी नई खरीदारी/नकद निकासी के साथ-साथ क्रेडिट कार्ड पर ऋण के लिए किसी भी बिल की गई ईएमआइ समेत, कुल देय राशि के संपूर्ण भुगतान की तिथि तक ब्याज अर्जित होगा।

इ) अन्य क्रेडिट कार्ड खातों से बैलेंस हस्तांतरण की स्थिति में, हस्तांतरित की गई राशि और आपके कार्ड अकाउंट पर बकाया किसी भी खरीद राशि पर बैंकर्स चेक / NEFT जारी करने की तारीख से तुरंत वित्त शुल्क लगता है।

फ) ऊपर बताए अनुसार वित्त प्रभार कार्ड खाता बंद होने के बाद भी तब तक देय रहेगा जब तक कि कार्ड पर बकाया राशि का पूरा भुगतान न कर दिया जाता हो।

ब्याज और शुल्क की गणना के लिए सचित्र उदाहरण:

उदाहरण 1

निम्नलिखित उदाहरण भुगतान की देय तिथि तक न्यूनतम देय राशि का भुगतान न होने की स्थिति में विभिन्न शुल्कों की गणना करने की विधि का संकेत करेगा। यह मानते हुए कि कार्ड सदस्य ने पिछले सभी बकाया का पूरा भुगतान कर दिया है और कार्ड खाते में कोई राशि बकाया नहीं है। विवरण की तिथि 24 नवंबर है और भुगतान की देय तिथि 12 दिसंबर है। कार्ड खाते में किए गए लेनदेन की सूची निम्नलिखित है:

तिथि	लेनदेन	राशि	शेष
10-नवम्बर	पोशाक की खरीद	₹15000	₹15000
15-नवम्बर	एटीएम निकासी	₹5000	₹20000
15-नवम्बर	नकद अग्रिम शुल्क (कर सहित)	₹295	₹20295
18-नवम्बर	ग्रॉसरी की खरीद	₹6000	₹26295
24-नवम्बर	विवरण तिथि	कुल देय राशि न्यूनतम देय राशि	₹26295 ₹1595
12-दिसंबर		भुगतान देय तिथि	
13-दिसंबर	विलम्ब भुगतान शुल्क (कर समेत)	₹1475	₹27770
18-दिसंबर	18-दिसंबर कार्ड खाते में भुगतान	₹2000 (क्रेडिट)	₹25770
20-दिसंबर	20-दिसंबर बिजली बिल का भुगतान	₹1000	₹26770
22-दिसंबर	22-दिसंबर कार्ड खाते में भुगतान	₹18000 (क्रेडिट)	₹8770

24 दिसंबर (अर्थात विवरण की अगली तिथि) तक कार्ड पर कोई अन्य भुगतान नहीं किया जाता है। कार्ड पर 47.88% प्रति वर्ष की अतिदेय ब्याज दर, ब्याज और शुल्क नीचे बताए अनुसार लगाया जाएगा:

अ)   ब्याज शुल्क

शेष राशि	तिथि से	तिथि तक	दिनों की संख्या	ब्याज शुल्क
₹15000	10–नवम्बर	14–नवम्बर	5	₹98.38
₹20295	15–नवम्बर	17–नवम्बर	3	₹79.87
₹26295	18–नवम्बर	12–दिसम्बर	25	₹862.33
₹27770	13–दिसम्बर	17–दिसम्बर	5	₹182.14
₹25770	18–दिसम्बर	19–दिसम्बर	2	₹67.61
₹26770	20–दिसम्बर	21–दिसम्बर	2	₹70.23
₹8770	22–दिसम्बर	24–दिसम्बर	3	₹34.51
कुल ब्याज शुल्क				₹1395.08

ब)   ब्याज शुल्कों का 18%   GST = ₹251.12

स)   कुल बैलेंस बकाया राशि = ₹8770

अतः 24 दिसंबर के विवरण में कुल देय राशि (a)+ (b) + (c) = ₹6893

उदाहरण 2

निम्नलिखित उदाहरण भुगतान की देय तिथि तक न्यूनतम देय राशि का भुगतान होने की स्थिति में विभिन्न शुल्कों की गणना करने की विधि का संकेत करेगा। यह मानते हुए कि कार्ड सदस्य ने पिछले सभी बकाया का पूरा भुगतान कर दिया है और कार्ड खाते में कोई राशि बकाया नहीं है। विवरण की तिथि 24 नवंबर है और भुगतान की देय तारीख 12 दिसंबर है। कार्ड खाते में किए गए लेनदेन की सूची निम्नलिखित है:

तिथि	लेनदेन	राशि	शेष
10–नवम्बर	पोशाक की खरीद	₹15000	₹15000
15–नवम्बर	एटीएम निकासी	₹5000	₹20000
15–नवम्बर	नकद अग्रिम शुल्क (कर समेत)	₹295	₹20295
18–नवम्बर	ग्रॉसरी खरीद	₹6000	₹26295
24–नवम्बर	विवरण तिथि	कुल देय राशि न्यूनतम देय राशि	₹26295 ₹1595
12–दिसंबर		भुगतान देय तिथि	
12–दिसंबर	कार्ड खाते में भुगतान	-₹1595	₹24700
18–दिसंबर	कार्ड खाते में भुगतान	-₹2000	₹22700
20–दिसंबर	बिजली बिल का भुगतान	-₹1000	₹23700
22–दिसंबर	कार्ड खाते में भुगतान	-₹18000	₹5700

24 दिसंबर (अर्थात विवरण की अगली तिथि) तक कार्ड पर कोई अन्य भुगतान नहीं किया जाता है। यह मानते हुए कि कार्ड पर 36% प्रति वर्ष की अतिदेय ब्याज दर, ब्याज और शुल्क नीचे बताए अनुसार लगाया जाएगा:

अ)   ब्याज दर – शून्य

शेष राशि	तिथि से	तिथि तक	दिनों की संख्या	ब्याज शुल्क
₹15000	10–नवम्बर	14–नवम्बर	5	₹73.97
₹20295	15–नवम्बर	17–नवम्बर	3	₹60.05
₹26295	18–नवम्बर	11–दिसंबर	24	₹622.44
₹24700	12–दिसंबर	17–दिसंबर	6	₹146.17
₹22700	18–दिसंबर	19–दिसंबर	2	₹44.78
₹23700	20–दिसंबर	21–दिसंबर	2	₹46.75
₹5700	22–दिसंबर	24–दिसंबर	3	₹16.87
कुल ब्याज दर				₹1011.02

ब) ब्याज दर के 18% पर GST = ₹181.98 कुल शेष

स) बकाया राशि = ₹5700

अतः 24 दिसंबर के विवरण में कुल देय राशि (a)+ (b) + (c) = ₹6893

उदाहरण 3

निम्नलिखित उदाहरण भुगतान की देय तिथि तक न्यूनतम देय राशि का भुगतान न होने की स्थिति में विभिन्न शुल्कों की गणना करने की विधि का संकेत करेगा। यह मानते हुए कि कार्ड सदस्य ने पिछले सभी बकाया का पूरा भुगतान कर दिया है और कार्ड खाते में कोई राशि बकाया नहीं है। विवरण की तिथि 24 नवंबर है और भुगतान की देय तारीख 12 दिसंबर है। कार्ड खाते में किए गए लेनदेन की सूची निम्नलिखित है:

तिथि	लेनदेन	राशि	शेष
10-नवम्बर	पोशाक की खरीद	₹15000	₹15000
15-नवम्बर	एटीएम निकासी	₹5000	₹20000
15-नवम्बर	नकद अग्रिम शुल्क (कर समेत)	₹295	₹20295
18-नवम्बर	ग्रॉसरी खरीद	₹6000	₹26295
24-नवम्बर	विवरण तिथि	कुल देय राशि न्यूनतम देय राशि	₹26295 ₹1595
12-दिसंबर		भुगतान देय तिथि	
12-दिसंबर	कार्ड खाते में भुगतान	₹26295	-
20-दिसंबर	बिजली बिल का भुगतान	₹1000	₹1000

24 दिसंबर (अर्थात विवरण की अगली तिथि) तक कार्ड पर कोई अन्य भुगतान नहीं किया जाता है। यह मानते हुए कि कार्ड पर 36% प्रति वर्ष की अतिदेय ब्याज दर, ब्याज और शुल्क नीचे बताए अनुसार लगाया जाएगा:

अ) ब्याज दर - शून्य

ब) GST शुल्क शून्य

स) कुल बैलेंस बकाया राशि = ₹1000

अतः 24 दिसंबर के विवरण में कुल देय राशि (a) + (b) + (c) = ₹1000

v. अन्य शुल्क:

अ) ओवर-लिमिट शुल्क: बैंक कार्ड सदस्य द्वारा संपन्न कुछ लेन-देन को स्वीकृति दे सकता है, जो सेवा भाव के रूप में क्रेडिट सीमा का उल्लंघन कर सकते हैं। ओवर लिमिट राशि का 2.5% ओवर-लिमिट प्रभार न्यूनतम ऋ500 के अधीन लिया जाएगा। ओवर लिमिट का स्थिति शुल्क या ब्याज दरों के कारण भी पैदा हो सकती है।

ब) विदेशी मुद्रा में प्रभार: यदि कोई लेन-देन भारतीय रुपये के अलावा किसी अन्य मुद्रा में संपन्न किया जाता है, तो वह लेन-देन भारतीय रुपये में बदल जाएगा। रूपांतरण उस तिथि को होगा जिस दिन आइडीएफसी फ़र्स्ट बैंक के साथ लेन-देन का निपटारा किया गया था, जो कि उसी तिथि को नहीं हो सकता है जिस दिन लेनदेन पूरा किया गया था। यदि लेनदेन अमेरिकी डॉलर में नहीं है, तो अमेरिकी डॉलर के जरिए, चार्ज की गई राशि को अमेरिकी डॉलर में परिवर्तित करके और फिर अमेरिकी डॉलर की राशि को भारतीय रुपये में परिवर्तित कर रूपांतरण किया जाएगा। जब तक लागू कानून के तहत एक विशेष दर की आवश्यकता न हो, अमेरिकी डॉलर से भारतीय रुपये में रूपांतरण दर, जैसा भी मामला बनता हो वीज़ा या मास्टरकार्ड द्वारा प्रदान की गई दरों पर संपन्न होगी, , जो निपटान तिथि पर इस तरह के लेनदेन पर, मुद्रा रूपांतरण कारक मूल्यांकन या मार्क अप द्वारा बढ़ाया गया हो। कृपया कार्ड के आधार पर मार्कअप चार्ज के लिए प्रभारों की अनुसूची देखें।

स) ईंधन लेनदेन अधिभार और रेलवे टिकट बुकिंग अधिभार (जैसा कि शुल्क की अनुसूची में दिया गया है) केवल सांकेतिक होते हैं। ये सरचार्ज अधिग्रहणकर्ता (टर्मिनल/पेमेंट गेटवे प्रदान करने वाले मर्चेंट का बैंक) द्वारा लगाए जाते हैं।

द) विवरण, कार्ड रिप्लेसमेंट, आउटस्टेशन चेक, शाखाओं/एटीएम में नकद जमा, लौटाए गए भुगतान, ईएमआइ रूपांतरण, नकद प्रॉसेसिंग, रिवार्ड रिडेम्पशन, बैलेंस हस्तांतरण, लोन प्रोसेसिंग, प्रीक्लोजर, कार्ड वैलिडेशन, लाउंज, ऐड–ऑन कार्ड से संबंधित अन्य लागू प्रभार प्रभार की अनुसूची में दिया गए अनुरूप लागू होगा।

इ) अन्य अतिरिक्त प्रभार और शुल्क, जो समय–समय पर लागू हो सकते हैं, कार्ड सदस्य द्वारा कार्ड सदस्य को आइडीएफसी फ़र्स्ट बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली विशिष्ट सेवाओं के लिए देय हैं।

फ) आइडीएफसी फ़र्स्ट बैंक ग्राहक को सूचित करते हुए समय–समय पर किसी भी प्रभार या शुल्क को बदलने या किसी भी नए प्रभारों या शुल्क को लागू करने का अधिकार रखता है।

2. सीमाएं

आइडीएफसी फ़र्स्ट बैंक अपने विवेकाधिकार से कार्ड सदस्य की क्रेडिट लिमिट और नकद निकासी सीमा तय करेगा। (ऐड–ऑन कार्ड सदस्य यही सीमा साझा करते हैं)। क्रेडिट सीमा और नकद निकासी सीमा को कार्ड की आपूर्ति के समय सूचित किया जाता है और उसे मासिक विवरण में भी दिखाया जाता है। उपलब्ध क्रेडिट सीमा की गणना कुल क्रेडिट सीमा से उपयोग की गई सीमा को घटाकर की जाती है। यदि कार्डधारक ने कार्ड पर क्रेडिट सीमा के भीतर कोई ऋण लिया है, तो बकाया ऋण राशि भी उपलब्ध क्रेडिट सीमा तक पहुंचने के लिए कुल क्रेडिट सीमा से काट ली जाएगी। नकद सीमा क्रेडिट सीमा का एक सब–सेट होगा या उस अनुरूप होगा जैसा कि आइडीएफसी फ़र्स्ट बैंक द्वारा समय–समय पर निर्दिष्ट किया जा सकता है। कार्ड सदस्य अपनी सदस्यता के 12 महीने पूरे होने पर आइडीएफसी फ़र्स्ट बैंक द्वारा प्रदान की गई क्रेडिट सीमा और/या नकद सीमा की समीक्षा / वृद्धि / कमी के लिए आवेदन करने का हकदार होगा। इस तरह की समीक्षा में बदलाव, यदि कोई हो, क्रेडिट सीमा और/या नकद सीमा आइडीएफसी फ़र्स्ट बैंक के विवेक पर निर्भर करेगा। आइडीएफसी फ़र्स्ट बैंक अपने विवेक के अनुरूप किसी भी समय क्रेडिट सीमा और/या कार्ड पर निर्दिष्ट नकद सीमा की समीक्षा (वृद्धि या कमी समेत) और क्रेडिट सीमा और/या नकद में केवल वृद्धि, यदि कोई हो, की समीक्षा करने का हकदार होगा, जो कार्ड सदस्य की सहमति के साथ आएडीएफसी फ़र्स्ट बैंक द्वारा प्रभावी होगी। क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल को समय–समय पर दी गई सीमाओं की मंजूरी के रूप में समझा जाएगा। फ़र्स्ट प्राइवेट क्रेडिट कार्ड सदस्यों के लिए, बैंक द्वारा समय–समय पर कार्डधारक के निजी संसाधनों, पिछले खर्च और चुकाने के इतिहास के बारे में बताए गए आधार पर अतिरिक्त क्रेडिट सीमा आवंटित की जा सकती है। यह निर्धारित क्रेडिट सीमा के ऊपर और ऊपर दिए गए बफर के रूप में हो सकता है या इस तरह से हो सकता है जिसे बैंक समय–समय पर उचित समझे।

3. ब्याज मुक्त अवधि

ब्याज मुक्त (अनुग्रह) अवधि 48 दिनों से अधिक की नहीं होगी और लेनदेन की तिथि और विवरण की तिथि के आधार पर यह अलग–अलग होगी। कृपया ध्यान दें कि यदि पिछले महीने के विवरण बैलेंस को नियत तिथि को या उससे पहले पूरी तरह से चुकाया नहीं किया गया हो, तो ब्याज मुक्त अवधि लागू नहीं होती है।

अनुग्रह अवधि की गणना के लिए सचित्र उदाहरण:

25 अक्टूबर, 2020 से 24 नवम्बर 2020 की अवधि के विवरण के लिए भुगतान की देय तिथि 12 दिसंबर, 2020 होगी। यह मानते हुए कि आपने भुगतान की देय तिथि तक पिछले महीने के विवरण की अपनी कुल देय राशि का भुगतान कर दिया है, अनुग्रह अवधि इस प्रकार होगी:

1. 2 नवंबर की तिथि पर की गई खरीदारी के लिए, ब्याज मुक्त अनुग्रह अवधि 2 नवंबर से 11 दिसंबर यानी 40 दिनों तक की है।
2. 25 अक्टूबर तक की खरीदारी के लिए, ब्याज मुक्त अनुग्रह अवधि 25 अक्टूबर से 11 दिसंबर तक यानि 48 दिनों तक की है

4. भुगतान देय तिथि (पीडीडी)

बकाया देय भुगतान इतिहास के आधार पर भुगतान की देय तिथि विवरण तिथि से 15 से 20 दिनों के बीच भिन्न हो सकती है। यह अवधि बैंक के विवेक पर निर्भर करती है और इसमें परिवर्तन हो सकता है। उदाहरण के लिए ब्याज मुक्त अवधि खंड में, विवरण अवधि 25 अक्टूबर से 24 नवंबर तक है और देय तिथि 12 दिसंबर है, यहां भुगतान देय तिथि अवधि 18 दिन की है।

5. बिलिंग और विवरण

i. विवरण: कार्ड सदस्य को मासिक आधार पर बिल भेजा जाएगा और उसे मासिक विवरण भेजा जाएगा, जिसमें महीने के लिए भुगतान, लेन-देन और शुल्क, यदि कोई हो, को दिखाया जाएगा, बशर्ते कि ऊपर बताई अवधि के दौरान कार्ड का उपयोग रु. 100 से अधिक के लेनदेन के लिए किया गया हो। विवरण डाक/ईमेल/एसएमएस/व्हाट्सएप बैंक द्वारा समय-समय पर बताए गए किसी अन्य विधि से बैंक के रिकॉर्ड के अनुसार डाक पते/ईमेल पते/फोन नंबर पर प्रेषित किया जाएगा। और यह नेटबैंकिंग और मोबाइल एप्लिकेशन पर भी उपलब्ध है। विवरण प्राप्त न होने से इस समझौते के तहत कार्ड सदस्य के दायित्वों और देनदारियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा और कार्ड सदस्य भुगतान की देय तिथि के अंदर कार्ड पर बकाया राशि का निपटान करने के लिए जिम्मेदार होगा। बैंक व्यापारिक प्रतिष्ठानों से प्राप्त सभी डेबिट और खर्च किए गए शुल्क के लिए कार्ड अकाउंट को डेबिट करेगा, और कार्ड खाते में कार्ड धारक द्वारा बैंक को किए गए सभी भुगतानों के लिए और कार्ड धारक के पक्ष में किसी भी भुगतान के लिए क्रेडिट करेगा।

ii. भुगतान योग्य देय: मासिक विवरण में न्यूनतम देय राशि (एमएडी) और कुल देय राशि (टीएडी) को दिखाया जाएगा। बैंक कार्ड मेम्बर को एक चक्रित क्रेडिट सुविधा प्रदान कर सकता है, जिसमें कार्ड सदस्य स्टेटमेंट में बताए अनुसार केवल एमएडी का भुगतान करना चुन सकता है। भुगतान देय तिथि तक मासिक भुगतान में कम से कम एमएडी शामिल होना चाहिए। पिछले विवरण में से कोई भी अभुक्त एमएडी भी वर्तमान एमएडी में जोड़ दिया जाएगा, ताकि वर्तमान विवरण में देय एमएडी की गणना की जा सके। यदि न्यूनतम देय राशि का भुगतान कर दिया गया हो, तो भी भुगतान की देय तिथि तक यदि कुल देय राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो ब्याज लागू किया जाएगा। कार्ड सदस्य भुगतान की देय तिथि से पहले न्यूनतम देय राशि से अधिक का भुगतान बिलिंग अवधि के दौरान एक से अधिक बार कर सकते हैं, या वे देय तिथि से पहले किसी भी समय कार्ड खाते पर बकाया राशि का भुगतान कर सकते हैं।

एमएडी सभी किस्तों, क्रेडिट सीमा (यदि कोई हो) से अधिक उपयोग की गई राशि, शुल्क, प्रभारों और शेष बकाया राशि के 5% का योगफल होगा। यदि कुल देय राशि (टीएडी) रु.100 से कम है, तो एमएडी टीएडी के बराबर होगा।

कार्ड सदस्य को यह ध्यान रखना चाहिए कि हर महीने केवल न्यूनतम भुगतान करने पर उनकी बकाया राशि पर परिणामी ब्याज भुगतान के साथ वर्षों तक पुनर्भुगतान बढ़ जाएगा।

उदाहरण: यदि कार्ड सदस्य 5,000 रुपये खर्च करता है और हर महीने न्यूनतम देय राशि (2100 के न्यूनतम भुगतान के अंतर्गत) का भुगतान करता है, तो कुल राशि का भुगतान करने में 3 वर्ष 8 महीने तक का समय लगेगा। अतः हमारा सुझाव है कि जब भी नकदी प्रवाह की अनुमति हो, कार्ड सदस्य न्यूनतम देय राशि से काफी अधिक राशि का भुगतान कर दें, जिसे कार्ड की बकाया राशि के भुगतान के रूप में समझा जाता है। यदि कार्ड सदस्य कार्ड के बकाया की तुलना में अधिक भुगतान करता है, तो कार्ड खाते में क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा। जिसे कार्ड पर बाद के लेनदेन में समायोजित कर दिया जाएगा। हालांकि, इस अतिरिक्त क्रेडिट राशि पर किसी ब्याज का दावा नहीं किया जा सकता है।

कार्ड धारकों को किसी भी भुगतान के लिए अपने बैंक से संपर्क करना होगा, लेकिन 48 घंटों के भीतर आइडीएफसी फ़र्स्ट बैंक क्रेडिट कार्ड में क्रेडिट प्राप्त न हुआ हो।

6. भुगतान

कार्ड के लिए प्राप्त भुगतानों को नीच बताए क्रम में विभिन्न वर्गों में समायोजित किया जाएगा:

i. कर समेत शुल्क और प्रभार

ii. ईएमआई

iii. ब्याज प्रभार

iv. नकद अग्रिम

v. खरीद

vi. अन्य विवरण

भुगतान आवेदन के लिए बिल बकाया राशि को बिल न किए गए बकाया देय राशि पर प्राथमिकता दी जाएगी; जहां भुगतान के आदेश के साथ आवेदन ऊपर के समान ही शेष है। ईएमआई/रद्द लेनदेन/रिवर्सल/प्रमोशनल कैशबैक में परिवर्तित लेनदेन के कारण मर्चेंट रिफंड/कैशबैक/क्रेडिट को कार्ड के बकाया भुगतान के रूप में नहीं माना जाएगा।

7. भुगतान के विधियां

कार्ड अकाउंट में भुगतान निम्नांकित में से किसी तरीके में किया जा सकता है

i. नेटबैंकिंग: यदि कार्डधारक के पास आइडीएफसी फ़र्स्ट बैंक खाता है, तो वह वेबसाइट या मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग करके नेटबैंकिंग के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान कर सकता है

ii. हैं। चेक/डीडी निम्नांकित के नाम से आहरित किया जा सकता है 16 डिजिट आइडीएफसी फ़र्स्ट बैंक क्रेडिट कार्ड नम्बर यानी IDFC FIRST Bank Card XXXXXXXXXXXXXXXX

iii. नकद भुगतान: कार्ड स IMPS/NEFT: यदि कार्डधारक के पास आइडीएफसी फ़र्स्ट बैंक खाता नहीं है तो वह अपने संबंधित बैंक खाते से NEFT या IMPS भुगतान मोड के साथ बकाया क्रेडिट कार्ड का भुगतान कर सकता है।

iv. चेक: ग्राहक आइडीएफसी फ़र्स्ट बैंक शाखाओं में उपलब्ध ड्रॉप बॉक्स पर चेक ड्रॉप करके बकाया क्रेडिट कार्ड का भुगतान कर सकते दस्य आइडीएफसी फ़र्स्ट बैंक शाखाओं में नकद भुगतान करके क्रेडिट कार्ड की बकाया राशि का भुगतान कर सकता है।

v. स्थाई अनुदेश: कार्ड सदस्य अपने आइडीएफसी फ़र्स्ट बैंक अकाउंट से टीएडी या एमएडी के लिए स्थायी अनुदेश निर्धारित कर सकता है।

vi. UPI QR: कार्ड सदस्य QR-कोड आधारित यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) भुगतान करने के लिए स्कैन टू पे का इस्तेमाल कर सकता है।

vii. UPI: कार्ड सदस्य किसी यूपीआइ-सक्षम ऐप के जरिए भुगतान कर सकता है।

viii. भुगतान गेटवे: कार्ड सदस्य भुगतान गेटवे फ़ंड हस्तांतरण के जरिए भुगतान कर सकते हैं।

ix. उपरोक्त भुगतान विधियों में से कोई भी वापस लिया जा सकता है / अन्य भुगतान विधियों को बैंक की वेबसाइट पर भुगतान विधियों के अद्यतन के माध्यम से नोटिस के साथ पेश किया जा सकता है।

8. बिलिंग विवाद

यदि कार्ड सदस्त आइडीएफसी फ़र्स्ट बैंक को विवरण की तिथि के 30 दिनों के अंदर और लेन-देन की तिथि से 60 दिनों के बाद में विसंगतियों के बारे में लिखित रूप में सूचित नहीं करता है, तो विवरण की सभी विषय-वस्तु को सही माना जाएगा और उसे स्वीकार किया जाएगा। बिलिंग से जुड़े विवादों/विसंगतियों की स्थिति में, बैंक ऐसे लेनदेन की जांच करेगा और दायित्व की पुष्टि करेगा। कुछ विवादों के लिए, बैंक अपने विवेक पर, जांच की अवधि के दौरान एक अस्थायी क्रेडिट दे सकता है, जिसे जांच के परिणाम के अधीन लागू शुल्क (जैसा कि शुल्क की अनुसूची में उल्लिखित है) के साथ पलटा जा सकता है। शुल्क और प्रभार / ब्याज के किसी भी विवाद पर लगाया गया जीएसटी वापस नहीं किया जाएगा।

9. संपर्क विवरण

कार्ड सदस्य आइडीएफसी फ़र्स्ट बैंक से नीचे बताए तरीकों में से किसी भी तरीके से संपर्क कर सकता है:

i. 24X7 हेल्पलाइन नम्बर @1860 500 1111 पर कॉल कर

ii. आइडीएफसी फ़र्स्ट बैंक लिमिटेड क्रेडिट कार्ड और संबद्ध सेवा प्रभाग पर हमें मेल करें
4था फ्लूर, यूनिट नं 402, प्लॉट नं जेन/2/1/F,
माइंडस्पेस टॉवर, टीटीसी इंडस्ट्रियल एरिया, एमआइडीसी शिरवणे,
जुई नगर नवी मुंबई, रायगढ़, महाराष्ट्र, 400706

iii. banker@idfcfirstbank.com

iv. प्रश्नों के माध्यम से हमसे संपर्क करें और नेटबैंकिंग / मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से हमसे संपर्क करें विकल्प

10. शिकायत का निपटारा

यदि आप एक्सेस माध्यमों से मिली प्रतिक्रिया से संतुष्ट न हों तो– तो आप निम्नलिखित तरीकों से हेड/सीनियर कस्टमर केयर से संपर्क करके अपनी चिंता जता सकते हैं। आप head.customerserviceidfcfirstbank.com पर ईमेल भेज सकते हैं और बैंक को @1800 209 9771 (टोल फ्री) पर 9:30 AM से 6:00 PM के बीच 7 दिन कॉल कर सकते हैं।

किसी भी अगली कार्यवाही के लिए, आप हमारे प्रिंसिपल नोडल अधिकारी (सुश्री टी अरोड़ा, आइडीएफसी फ़र्स्ट बैंक लिमिटेड बिल्डिंग नंबर 2, रहेजा माइंडस्पेस, एमआइडीसी औद्योगिक क्षेत्र, शिरवाने, जुई नगर, नेरुल, नवी मुंबई – 400706, महाराष्ट्र, भारत) से संपर्क कर सकते हैं; लैंडमार्क: रहेजा यूनिवर्सल या होंडा सर्विस सेंटर) मामलों की जांच–पड़ताल करने और निष्पक्ष समाधान प्रदान करने के लिए, आप PNO@idfcfirstbank.com पर एक ईमेल भेज सकते हैं या 1800 209 9771 पर कॉल कर सकते हैं (टोल फ्री) सुबह 9:30 बजे से शाम 6:00 बजे के बीच सभी 7 दिन।

कृपया अपनी ओर से प्रतिक्रिया मिलने के 30 दिनों के भीतर अपनी चिंताओं को व्यक्त करें और सेवा अनुरोध संख्या उद्धृत करें।

यदि उपरोक्त चैनलों पर शिकायत दर्ज होने की तारीख से एक महीने के भीतर कार्ड सदस्य को कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती है, या यदि कार्ड सदस्य दिए गए जवाब से असंतुष्ट है, तो वह एक स्वतंत्र समीक्षा के लिए बैंकिंग लोकपाल को लिख सकता है। अधिक विवरण शिकायत निवारण वेवे पेज www.idfcfirstbank.com पर उपलब्ध हैं। आपके इलाके के बैंकिंग लोकपाल के विवरण भी शाखाओं में डिस्प्ले किए गए हैं।

असफल/विफल लेनदेन हेतु, शिकायत के निवारण में देरी और खाता बंद करने में देरी/खोये हुए या चोरी हुए कार्डों को ब्लॉक करने हेतु, ग्राहक क्षतिपूर्ति नीति में परिभाषित मुआवजे की रूपरेखा और आइडीएफसी फ़र्स्ट बैंक की वेबसाइट पर होस्ट की गई शिकायत निवारण नीति लागू होगी।

11. ग्रहणाधिकार का अधिकार

i. बैंक द्वारा मांगे जाने पर या बैंक के किसी भी खाते/सुविधा/अभिरक्षा के लिए अन्य रूप से बकाया होने पर, कार्ड खाते की शेष राशि या किसी क्रेडिट सुविधा का भुगतान निर्धारित समय के भीतर न किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में बैंक के पास किसी भी समय और बगैर किसी सूचना के, कार्ड सदस्य के सभी पैसे को सेट–ऑफ करने का अधिकार होगा और/या आइडीएफसी फ़र्स्ट बैंक के कार्ड सदस्य/ग्राहक को किसी भी खाते/सुविधा/कस्टडी में उनके क्रेडिट में जोड़ने का अधिकार होगा।

ii. रीडेम्पशन के निपटान के दौरान यदि उपलब्ध रिवॉर्ड प्वॉइंट की शेष राशि लेनदेन के लिए आवश्यक प्वॉइंट से कम हो, तो बैंक अपने पास ग्राहक के कार्ड/खाते पर अंतर राशि को डेबिट करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

12. डिफ़ॉल्ट

यदि कार्ड सदस्य बिलिंग विवरण में दर्शाई गई तिथि तक न्यूनतम देय राशि का भुगतान करने में विफल रहता है, तो इसे डिफ़ॉल्ट माना जाएगा। कार्ड सदस्य को विलंब भुगतान शुल्क, वित्त शुल्क और अन्य लागू शुल्कों का भुगतान करना होगा, जो कि शुल्क की अनुसूची में दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा अधिकृत क्रेडिट इंफ़ॉर्मेशन कंपनियों (सीआईसी) को मासिक सबमिशन में कार्ड को दोषी के रूप में रिपोर्ट किया जाएगा। भुगतान की देय तिथि और बिलिंग विवरण पर दर्शाई गई बिलिंग तिथि के बीच की समयावधि को एक कार्ड सदस्य को डिफ़ॉल्टर के रूप में रिपोर्ट करने के लिए नोटिस अवधि के रूप में माना जाता है। क्रेडिट कार्ड सुविधाओं को नियंत्रित करने वाले नियम और शर्तें एड–ऑन कार्ड सदस्यों पर भी लागू होंगी। डिफ़ॉल्ट की स्थिति में, कार्डधारक को समय–समय पर कार्ड खाते पर किसी भी बकाया के निपटान के लिए, डाक, फ़ैक्स, टेलीफ़ोन, ई–मेल, एसएमएस संदेश और/या बकाया संग्रह करने वाले तीसरे पक्ष को याद दिलाने, अनुवर्ती कार्रवाई करने हेतु और अनुस्मारक भेजा जाएगा। इस प्रकार नियुक्त किया गया कोई भी तीसरा पक्ष इसका पूर्ण रूपेण पालन करेगा कर्ज़ संग्रह से जुड़ी आचार संहिता बैंक के ग्राहक सहायता विशेषज्ञ, जो अधिकृत एजेंसियों के माध्यम

से लगे हुए हैं, बकाया देय राशि के बारे में याद दिलाने के लिए कार्ड सदस्य से संपर्क साध सकते हैं। यदि बैंक कार्ड सदस्य से संपर्क करने में असमर्थ है, तो तीसरे पक्ष के पास एक संदेश छोड़ा जा सकता है जैसे कि अन्य वयस्क ज्ञात व्यक्ति निवास/कार्यालय/ फ़ोन पर उपलब्ध पति/पत्नी/माता-पिता/अन्य प्रत्यक्ष वयस्क परिवार के सदस्य/रिश्तेदार/सचिव/लेखाकार/सहकर्मी/कार्ड सदस्य के पास सूचना दी जाएगी।

ऐसी स्थिति में जब कार्ड सदस्य डिफ़ॉल्ट की घटना करता है, बैंक अपने विवेकाधिकार पर निम्नलिखित कदम उठाने का हकदार होगा:

अ) कार्ड सदस्य की सभी क्रेडिट कार्ड सुविधाएं वापस लेना।

ब) कार्ड सदस्य से कहना कि वह अपने कार्ड पर सभी बकाया राशि का तुरंत भुगतान करें।

स) बैंक के पास कार्ड सदस्य के नाम पर रखे गए किसी भी पैसे/जमा/खाते के लिए बैंक के ग्रहणाधिकार के अधिकार का प्रयोग करें और बकाया राशि को सेट-ऑफ़ करना।

डिफ़ॉल्ट रिपोर्ट को वापस लेने की प्रक्रिया और वह अवधि जिसके भीतर डिफ़ॉल्ट रिपोर्ट को देय राशि के निपटान के बाद वापस ले लिया जाएगा।

कार्ड सदस्य की मृत्यु या स्थायी विकलांगता की स्थिति में, बैंक अपने विवेक पर कानून और इक्विटी के तहत उपलब्ध सभी कोर्सों को आगे बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जिसमें लागू बीमा कवर या कार्ड सदस्य के वारिसों/निष्पादकों/प्रशासकों से किसी भी कार्ड से बकाया कार्ड की वसूली सहित किसी भी बकाया कार्ड खाते (खातों) को पुनर्प्राप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखना भी शामिल है।

बैंक की ब्यूरो रिपोर्टिंग मासिक आधार पर की जाती है। किसी विशेष माह में किसी डीफ़ॉल्टर के रूप में रिपोर्ट किए जाने के बाद किसी भी बकाया राशि के निपटान पर, अद्यतन स्थिति वाले बैंक द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली अगली रिपोर्ट के आधार पर स्थिति का अपडेट दिया जाएगा।

13. कार्ड सदस्यता की समाप्ति/निरसन/हस्तांतरण

i. कार्ड सदस्य किसी भी समय bankeridfcfisrtbank.com पर बैंक को लिखकर या हेल्पलाइन नंबर 1860 500 1111 पर कॉल करके आइडीएफसी फ़र्स्ट बैंक के साथ कार्ड सदस्यता समाप्त कर सकता है। दुरुपयोग से बचने के लिए, सलाह दी जाती है कि होलोग्राम, ईएमवी चिप और मैग्नेटिक स्ट्रिप को स्थायी रूप से नष्ट कर देने के लिए कार्ड को कई टुकड़ों में काटकर नष्ट कर दें। क्रेडिट कार्ड से जुड़ी संपूर्ण कार्ड बकाया राशि और ऋण/ईएमआई सुविधाएं (यदि ली गई हैं) तत्काल देय हो जाएंगी। कार्ड की समाप्ति तभी प्रभावी होगी जब आइडीएफसी फ़र्स्ट बैंक को उक्त कार्ड खाते से जुड़े सभी देय और बकाया राशि का भुगतान प्राप्त हो जाएगा। कार्ड सदस्य को बिल किया गया कोई वार्षिक, ज्वाइनिंग, नवीनीकरण शुल्क या कोई अन्य शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।

ii. यदि आइडीएफसी फ़र्स्ट बैंक कार्ड के उपयोग में अनियमित और असामान्य लेनदेन पैटर्न को नोटिस करता है, तो बैंक अपने रिकॉर्ड पर उपलब्ध ग्राहक के पंजीकृत फ़ोन नंबर पर ग्राहक के साथ संपर्क साधने का प्रयास करेगा ताकि यह सत्यापित किया जा सके कि कार्ड लेनदेन वास्तविक है या नहीं। ग्राहक के साथ संपर्क साधने में बैंक की ओर से विफलता होने पर, यदि बैंक कार्ड सदस्य के हित में और सुरक्षा कारणों से आवश्यक मानता है, तो बैंक बगैर किसी और सूचना के कार्ड के उपयोग को प्रतिबंधित/समाप्त कर सकता है।

iii. आइडीएफसी फ़र्स्ट बैंक यदि इसे व्यापार या सुरक्षा कारणों से आवश्यक समझता है,तो वह बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी समय कार्ड के उपयोग को समाप्त कर सकता है, जिसमें व्यापक रूप से भुगतान में देरी, क्रेडिट सीमा से अधिक उपयोग, वापस किया गया चेक, क्रेडिट कार्ड का अनुचित इस्तेमाल शामिल हो सकता है (विदेशी मुद्रा व्यापार, व्यावसायिक उपयोग इत्यादि के लिए), कार्ड ऐप्लिकेशन के साथ दी गई भ्रांतिपूर्ण या गलत जानकारी / दस्तावेज या अन्यथा, प्रासंगिक कानूनों / विनियमों (पहचान दस्तावेजों सहित) द्वारा आवश्यक जानकारी या दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफलता बैंक/आरबीआई के अपने 'ग्राहक को जानें' (केवाईसी)/एंटी मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल)/आतंकवाद का मुकाबला (सीएफटी)दिशानिर्देशों के तहत इसकी आवश्यकता हो सकती है, यदि कार्ड सदस्य किसी प्राधिकारी, अदालत द्वारा कानूनी या पेशेवर निकाय या असोसिएशन द्वारा किसी भी नागरिक मुकदमेबाजी या आपराधिक उल्लंघन में शामिल हो।

iv. यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्रेडिट कार्ड का उपयोग नियामक दिशा-निर्देशों, नियमों व शर्तों और आइडीएफसी फ़र्स्ट बैंक को संदेह होता है, तो बैंक क्रेडिट कार्ड पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कर सकता है। ऐसी कार्रवाई तत्काल प्रभाव से चालू की जा

सकती है और इसमें व्यापक रूप से सुविधाओं/लाभों की वापसी के साथ-साथ क्रेडिट कार्ड की पूर्ण समाप्ति शामिल हो सकती है। यदि बैंक द्वारा ऐसी कोई कार्रवाई की जाती है तो जैसा कि बैंक द्वारा उचित समझा जा सकता है, क्रेडिट कार्ड और जुड़ी सुविधाओं/लाभों को बहाल करने के लिए वास्तविक उपयोग का संतोषजनक प्रमाण प्रदान करने की जिम्मेदारी ग्राहक पर होगी। इस संबंध में आइडीएफसी फ़र्स्ट बैंक का निर्णय अंतिम और ग्राहकों के लिए बाध्यकारी होगा।

v. कार्ड-सदस्य की मृत्यु या समर्थता में कार्ड-सदस्य के साथ-साथ किसी भी ऐड-ऑन कार्ड-सदस्य को जारी किए गए क्रेडिट कार्ड को स्वचालित रूप से रद्द कर दिया जाएगा। किसी भी सरकार/नियामक निकाय के निर्देश पर क्रेडिट कार्ड का खाता भी निलंबित किया जा सकता है। क्रेडिट कार्ड खाते पर बकाया सभी राशियों को मृत्यु या क्षमता में, जैसा भी मामला हो, तुरंत देय माना जाएगा, आइडीएफसी फ़र्स्ट बैंक अपने विवेक पर कानून और इक्विटी के तहत उपलब्ध सभी पाठ्यक्रमों को प्राप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जिसमें कोई भी कार्ड खाता (खातों) बकाया शामिल, जिसमें किसी भी लागू बीमा कवर से या कार्ड सदस्य के वारिसों/निष्पादकों/प्रशासकों से बकाया कार्ड की वसूली शामिल है।

vi. यदि कार्ड धारक क्रेडिट कार्ड का कभी भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है या 365 दिनों से अधिक समय तक उसका उपयोग नहीं किया जाता है, तो इसके सभी लाभ वापस लिए जा सकते हैं और कार्ड को तब तक बंद रखा जा सकता है, जब तक कि 30 दिनों की अवधि के भीतर कार्ड सदस्यता जारी रखने के लिए स्पष्ट सहमति प्राप्त न हो जाए। ऐसे कार्ड सदस्य (सदस्यों) को ऐसी निकासी की पूर्व सूचना दी जाएगी।

vii. कार्ड की समाप्ति/निरस्तीकरण/निरसन की किसी भी परिस्थिति में, क्रेडिट कार्ड से जुड़ी संपूर्ण कार्ड बकाया राशि और ऋण/ईएमआई सुविधाएं तत्काल देय हो जाएंगी। समझौते के तहत आइडीएफसी फ़र्स्ट बैंक को देय सभी राशियां बकाया राशि में शामिल होंगी, जिसमें सभी लेन-देन और वे अन्य राशियां मौजूद हैं जो अभी तक खाते से नहीं ली गई हैं। कार्ड खाता बंद होने के बाद भी, कार्ड सदस्य मासिक विवरण प्राप्त करना जारी रख सकता है, जो वास्तविक बकाया को दर्शाता है।

viii. ऊपर बताई बातों के साथ-साथ कर्मचारी क्रेडिट कार्ड जारी करना/उसे समाप्त करना कर्मचारी क्रेडिट कार्ड की विशेषताओं और बैंक इंट्रानेट पोर्टल पर दी गई जानकारी द्वारा संचालित होगा।

14. कार्ड का नुकसान/ चोरी / दुरुपयोग

i. कार्ड यदि खो जाता है, चोरी हो जाता है, गलत स्थान पर रखा जाता है, टूट-फूट हो जाता है, देय होने पर भी प्राप्त नहीं होता है, और यदि कार्ड धारक को संदेह है कि क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल उसकी अनुमति के बिना किया जा रहा है या यदि कोई अन्य व्यक्ति उसका पिन या अन्य सुरक्षा जानकारी जानता है तो कार्डधारक को 24 घंटे चालू रहने वाले नंबर 1860 500 1111 पर कॉल करके तुरंत बैंक आइडीएफसी से संपर्क करना चाहिए। कार्ड सदस्य को स्थानीय पुलिस स्टेशन में एफआइआर दर्ज कराने की सलाह दी जाती है ताकि कार्ड सदस्य बैंक द्वारा अनुरोध किए जाने पर इसकी प्रति प्रस्तुत कर सके।

रिपोर्ट करने में किसी भी देरी की स्थिति में देयता बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध ग्राहक क्षतिपूर्ति नीति में निहित के रूप में निर्धारित की जाएगी।

ii. कार्ड के गुम होने की सूचना देने के समय से पहले कार्ड खाते पर किए गए किसी भी लेन-देन के लिए आइडीएफसी फ़र्स्ट बैंक उत्तरदायी या जिम्मेदार नहीं है, और कार्ड सदस्य इसके लिए पूरी तरह उत्तरदायी होगा। एक बार आइडीएफसी फ़र्स्ट बैंक को नुकसान की उचित सूचना मिलने के बाद, कार्ड खाते पर भविष्य में किसी भी लेनदेन के लिए कार्ड सदस्य उत्तरदायी नहीं होगा।

iii. कार्ड सदस्य या एड-ऑन कार्ड सदस्य की सहमति से पिन या कार्ड प्राप्त करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा कार्ड के दुरुपयोग की स्थिति में कार्ड सदस्य सभी नुकसानों के लिए उत्तरदायी होगा। यदि कार्ड-सदस्य ने छलपूर्ण कार्य किया है, तो कार्ड-सदस्य सभी हानियों के लिए उत्तरदायी होगा। यदि कार्ड-सदस्य उचित सावधानी के बगैर कार्य करता है, तो कार्ड-सदस्य उससे पैदा होने वाले सभी नुकसानों के लिए उत्तरदायी हो सकता है।

iv. यदि मर्चेंट/सदस्य बैंक द्वारा किसी भी राशि का शुल्क लिया जाता है, जो ग्राहक द्वारा देय और भुगतान योग्य है, चाहे वह विवादित हो या न हो, कार्डधारक ग्राहक के लिए लागू बिलिंग साइकल के अनुसार बैंक को भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। इसके अलावा, जहां आइडीएफसी फ़र्स्ट बैंक ने भुगतान किया हो, बैंक ग्राहक से उक्त राशि वसूल करने के लिए जिम्मेदार है। इसके अलावा, जहां राशि को लेकर विवाद हो, ग्राहक को बिलिंग साइकल के अनुरूप उसका भुगतान करना होगा और विवाद के परिणाम/निर्णय की प्रतीक्षा नहीं करनी होगी। आइडीएफसी फ़रस्ट बैंक को पुनर्प्राप्त करने का उक्त अधिकार और भुगतान करने के लिए ग्राहक का दायित्व वैध होगा जहं इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया जाएगा कि ग्राहक का बैंक के साथ मौजूदा संबंध खत्म हो गया है और/या चाहे कारण जो भी हो, कार्ड किसी भी समय के लिए निलंबित/बंद कर दिया गया है।

v. क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल के लिए कार्ड सदस्य को जारी किया गया पिन (व्यक्तिगत पहचान संख्या) या कार्ड सदस्य द्वारा पिन के रूप में चुने गए किसी भी नंबर की जानकारी केवल कार्ड सदस्य को ही होनी चाहिए। यह कार्ड सदस्य के व्यक्तिगत उपयोग के लिए है और यह अहस्तांतरणीय है और यह काफी गोपनीय है। पिन का लिखित रिकॉर्ड किसी भी रूप, स्थान या इस तरीके से नहीं रखा जाना चाहिए, जिससे किसी तीसरे पक्ष द्वारा इसका इस्तेमाल किया जा सके। पिन किसी तीसरे पक्ष को, आइडीएफसी फ़र्स्ट बैंक के कर्मचारियों को या मर्चेंट प्रतिष्ठान को, किसी भी परिस्थिति में या किसी भी तरह से, चाहे स्वैच्छिक या अन्यथा हो, प्रकट नहीं किया जाना चाहिए। आइडीएफसी फ़र्स्ट बैंक और/या उसके स्टाफ़/कर्मचारी कार्ड सदस्य द्वारा पिन के साथ किसी भी प्रकार के समझौते के लिए उत्तरदायी या जिम्मेदार नहीं होंगे।

vi. आइडीएफसी फ़र्स्ट बैंक कार्डधारक के हितों की रक्षा हेतु और कार्ड खाते पर किसी भी तरह से गलत इस्तेमाल से बचने के लिए समझौता के संदिग्ध जोखिम पर क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। आइडीएफसी फ़र्स्ट बैंक, कार्ड सदस्य या किसी ऐड–ऑन कार्ड सदस्य को संदर्भित किए बिना, पुलिस या अन्य संबंधित अधिकारियों को कोई भी ऐसी जानकारी प्रदान कर सकता है, जिसे बैंक कार्ड या पिन के खोने, चोरी या दुरुपयोग के बारे में जरूरी मानता हो।

vii. एक बार कार्ड के गुम होने की जानकारी मिलने के बाद, कार्ड सदस्य द्वारा बाद में पाए जाने पर किसी भी हालत में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। यदि गलत इस्तेमाल पाया जाता है, तो सलाह दी जाती है कि कृपया होलोग्राम, ईएमवी चिप और मैग्नेटिक स्ट्रिप को स्थायी रूप से नष्ट कर देने के लिए कार्ड को कई टुकड़ों में काटकर नष्ट कर दें। चूंकि ऐड–ऑन कार्ड प्राथमिक कार्ड खाते पर दी गई एक विस्तारित सुविधा है, इसलिए प्राथमिक कार्ड के गुम होने की सूचना मिलने पर ऐड–ऑन कार्ड अमान्य हो जाता है। इसी तरह, यदि ऐड–ऑन कार्ड खो जाने की जानकारी मिलती है, तो प्राथमिक कार्ड खाता और अन्य ऐड–ऑन कार्ड अमान्य हो जाते हैं।

15. प्रकटीकरण

i. आइडीएफसी फ़र्स्ट बैंक ने आरबीआई द्वारा अधिकृत क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनियों (सीआईसी) के साथ समझौता संपन्न किया है और यह क्रेडिट जानकारी साझा करेगा, जिसमें वर्तमान शेष राशि, क्रेडिट कार्ड से जुड़े ऋण / ईएमआई सुविधाएं (यदि लाभ उठाया गया है), क्रेडिट कार्ड पर बकाया राशि/ क्रेडिट सूचना कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 के अनुसार मासिक आधार पर इन संगठनों के साथ जनसांख्यिकीय विवरण के साथ ऋण, भुगतान इतिहास आदि शामिल होंगे। सीआईसी केवल तथ्यगत क्रेडिट जानकारी प्रदान करते हैं और इस बारे में कोई विचार, संकेत या टिप्पणी नहीं करते हैं कि क्रेडिट दिया जाना चाहिए या नहीं। समय पर आवश्यक देय राशि का भुगतान करके एक अच्छा क्रेडिट इतिहास बनाए रखना कार्ड सदस्य के सर्वोत्तम हित में है। डिफ़ॉल्ट का विवरण सीआईसी के पास भी उपलब्ध होगा, जो बदले में कार्ड सदस्य की क्रेडिट योग्यता को प्रभावित कर सकता है।

ii. आइडीएफसी फ़र्स्ट बैंक एक दोषी ग्राहक को सीआईसी को रिपोर्ट करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, भले ही कार्ड सदस्य द्वारा बिलिंग विवाद को उठाया गया हो, जिसे बैंक ने पहले एक अमान्य विवाद के रूप में स्पष्ट किया था या बैंक द्वारा कट–ऑफ़ तिथि के बाद कार्ड सदस्य द्वारा उठाए गए विवाद को परिभाषित किया गया था और/या विवाद सुरक्षित लेनदेन के संबंध में हो जहां एक पिन या वन टाइम पासवर्ड का इस्तेमाल किया गया था।

iii. आइडीएफसी फ़र्स्ट बैंक कार्ड खाते का विवरण जैसा आवश्यक हो, सांविधिक प्राधिकारियों को उपलब्ध कराएगा। यदि कार्ड सदस्य ने आइडीएफसी फ़र्स्ट बैंक और उसके पार्टनर द्वारा पेश किए सह–ब्रांड कार्ड का लाभ उठाया है, तो रिवॉर्ड प्रोग्राम, पोर्टफ़ोलियो सांख्यिकीय विश्लेषण आदि के निष्पादन के लिए व्यापक रूप से सह–ब्रांड साझेदार को आवश्यक जानकारी समेत प्रदान किया जाएगा।

iv. हम कार्ड सदस्य को यह भी बताना चाहते हैं कि आइडीएफसी फ़र्स्ट बैंक शिकायत–संबंधी बातचीत या भुगतान–वसूली–वार्तालाप या किसी अन्य बातचीत के मामलों में, अपने विवेक से जैसा कि बैंक ठीक समझे कार्ड–सदस्य और बैंक के प्रतिनिधि के बीच विशिष्ट बातचीत को रिकॉर्ड करेगा।

V. आइडीएफसी फ़र्स्ट बैंक अपने विवेक पर लागू नियामक दिशानिर्देशों के अनुसार, आइडीएफसी फ़र्स्ट बैंक द्वारा नियुक्त किसी भी सेवा प्रदाता को क्रेडिट कार्ड संचालन से संबंधित कोई भी गतिविधि सौंपने का अधिकार सुरक्षित रखता है, चाहे वह भारत में स्थित हो या विदेश में और चाहे आइडीएफसी फ़र्स्ट बैंक समूह की इकाई हो या कोई तीसरा पक्ष हो। आइडीएफसी फ़र्स्ट बैंक बिना किसी विशिष्ट सहमति के क्रेडिट कार्ड संचालन से संबंधित किसी भी गतिविधि के लिए ऐसे सेवा प्रदाताओं को कार्ड सदस्य/एड–ऑन कार्ड सदस्य अकाउंट/आवेदन का विवरण प्रदान/साझा कर सकता है। आइडीएफसी फ़र्स्ट बैंक/ग्रुप कंपनियां अपने पास आवेदन पत्र और उसके साथ प्रदान किए गए दस्तावेजों को फोटो सहित रखने का अधिकार सुरक्षित रखती हैं, और उन्हें वापस नहीं करेंगी।

vi. आइडीएफसी फ़र्स्ट बैंक समय–समय पर विभिन्न उत्पादों/सुविधाओं/प्रचार प्रस्तावों का संचार करता है जो इसके कार्ड सदस्यों को महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करते हैं और ऐसा करने के लिए वे तीसरे पक्ष की एजेंसियों की सेवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि कार्ड सदस्य आइडीएफसी फ़र्स्ट बैंक से ऐसी सेवाओं के लिए कोई प्रत्यक्ष मार्केटिंग, एसएमएस, ईमेल या टेलीफ़ोन कॉल प्राप्त नहीं करना चाहता है, तो कार्ड सदस्य 24 घंटे की हेल्पलाइन पर कॉल कर सकता है और बैंक को इस बारे में जानकारी प्रदान कर सकता है। अन्यथा, कार्ड सदस्य बैंक की वेबसाइट पर लॉग ऑन कर सकता है और 'डू नॉट डिस्टर्ब' सेवा के लिए पंजीकरण कर सकता है। कार्ड सदस्य को क्रेडिट कार्ड की मुख्य विशेषताओं से संबंधित संचार प्राप्त होता रहेगा।

vii. क्रेडिट कार्ड के चुनिंदा प्रकारों में कार्ड पर एक पूरक बीमा कवर हो सकता है। पॉलिसी कवरेज क्रेडिट कार्ड सेट अप की तिथि से आरंभ होता है। अधिक जानकारी और नियम व शर्तों के लिए, कृपया आइडीएफसी फ़र्स्ट बैंक की वेबसाइट देखें।

16. फेमा (विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम) सहित अन्य महत्वपूर्ण जानकारी

i. क्रेडिट कार्ड भारत के साथ–साथ विदेशों में भी इस्तेमाल के लिए मान्य है। यद्यपि यह नेपाल और भूटान में विदेशी मुद्रा में भुगतान के लिए मान्य नहीं है।

अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड का उपयोग निषिद्ध वस्तुओं जैसे लॉटरी टिकट, प्रतिबंधित या निषिद्ध पत्रिकाओं, स्वीपस्टेक्स में भागीदारी, कॉल बैक सेवाओं के लिए भुगतान, और / या ऐसी वस्तुओं / गतिविधियों की खरीद के लिए नहीं किया जा सकता है जिनके लिए विदेशी मुद्रा के आहरण की अनुमति न हो।

iii. भारत के बाहर लेनदेन हेतु कार्ड का उपयोग आरबीआइ के विनिमय नियंत्रण विनियमों और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 समेत लागू कानून के अनुसार किया जाना चाहिए, और ऐसा करने में किसी भी विफलता की स्थिति में, कार्ड सदस्य दंडात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी हो सकता है।

iv. इंटरनेट ट्रेडिंग पोर्टल के माध्यम से विदेशी मुद्रा व्यापार की अनुमति नहीं है। किसी भी उल्लंघन या अनुपालन में विफलता की स्थिति में, कार्ड सदस्य दंडात्मक कार्रवाई और/या कार्ड को बंद करने के लिए उत्तरदायी हो सकता है।

केवल एनआरआई ग्राहकों के लिए आइडीएफसी फ़र्स्ट बैंक एनआरई / एनआरओ खाते से ऑटोपे मोड के माध्यम से 100% भुगतान अनिवार्य रूप से किया जाना होता है। एनआरआई ग्राहकों के लिए नकद भुगतान स्वीकार नहीं किया जाएगा।

vi. सभी पक्ष इस बात से सहमत हैं कि यहां नियमों व शर्तों और/या कार्ड के उपयोग से उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद के संबंध में, मुंबई, भारत में न्यायालयों के गैर–विशेष क्षेत्राधिकार को संदर्भित किया जाएगा और भारत के कानूनों के अनुसार शासित और अनुकूल माना जाएगा। कार्ड सदस्य आगे यह भी मानता है कि बैंक अपने विवेक पर, मध्यस्थता और समझौता अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के अनुरूप, जैसा कि संशोधित किया जा सकता है, या इसके पुनरधिनियमन के अनुसार, बैंक द्वारा नियुक्त एकमात्र मध्यस्थ को विवाद को संदर्भित करने का विकल्प चुन सकता है। मध्यस्थता की कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में संचालित की जाएगी। मध्यस्थ द्वारा पारित निर्णय अंतिम होगा और यह पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा। मध्यस्थता की कार्यवाही दिल्ली/मुंबई/चेन्नई/कोलकाता और/या ऐसे अन्य स्थान पर आयोजित की जाएगी जिसे बैंक के विवेक पर अधिसूचित किया जा सकता है। अथवा मध्यस्थता की कार्यवाही वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी आयोजित की जा सकती है। न्यायाधिकरण द्वारा आदेशित किसी भी सुनवाई में भाग लेने के लिए, निम्नलिखित बातें लागू होंगी:

a) ऐसी कोई भी सुनवाई न्यायाधिकरण के आदेश पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए की जाएगी;

b) सभी पक्ष इस बात से सहमत हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा सुनवाई के आधार पर ऐसी किसी भी सुनवाई के बाद न्यायाधिकरण के निर्णय, आदेश या निर्णय पर कोई आपत्ति नहीं उठाई जाएगी।

vii. कार्ड सदस्य इस बात से सहमत होता है कि यदि किसी भी समय उसे यह पता चले कि किसी क्रेडिट सुविधा के विरुद्ध बैंक को कोई राशि देय है, तो बैंक को बगैर किसी पूर्व सूचना के किसी/सभी सुविधाओं के अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) रखने का पूर्ण अधिकार होगा।

viii. आइडीएफसी फ़र्स्ट बैंक, उसके कर्मचारी, एजेंट या ठेकेदार किसी भी नुकसान या क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे, चाहे वह प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष या परिणामी हो, जिसमें व्यापक रूप से राजस्व, लाभ, व्यवसाय, अनुबंध, प्रत्याशित बचत या सद्भावना, उपयोग की हानि या सॉफ़्टवेयर समेत किसी भी उपकरण का मूल्य शामिल है, चाहे वह उपयोगकर्ता या किसी व्यक्ति द्वारा झेला गया हो या नहीं, कितना भी हो, उपयोगकर्ता के दूरसंचार उपकरण और किसी भी सेवा प्रदाता के नेटवर्क और बैंक के सिस्टम से किसी भी सूचना या संदेश के प्रसारण में किसी भी विफलता, देरी, रुकावट, निलंबन, प्रतिबंध, या त्रुटि के अनुरोध और प्रतिक्रिया तैयार करने और वापस करने में या उपयोगकर्ता के दूरसंचार उपकरण, बैंक के सिस्टम या किसी सेवा प्रदाता के नेटवर्क और/या किसी के नेटवर्क में कोई खराबी, रुकावट, निलंबन या विफलता तृतीय पक्ष जो ऐसी सेवाएं प्रदान करता है जो सुविधा प्रदान करने के लिए आवश्यक है, जिसे प्राप्त करने और संसाधित करने में बैंक के किसी भी देरी, रुकावट, निलंबन, समाधान या त्रुटि से उत्पन्न या उससे संबंधित हो।

ix. आइडीएफसी फ़र्स्ट बैंक बैंकिंग कोड 6 का सदस्य है। भारतीय मानक बोर्ड (बीसीएसबीआई)। बीसीएसबीआई कोड का विवरण हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है।